

**राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 27.5.19

**:: आदेश ::**

श्री गणेश मीणा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक एजी/760 दिनांक 01.03.19 के क्रम में श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1394/2016) को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में दिनांक 01.03.19 से कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

**सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-**

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

हो

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री गणेश मीणा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।



(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 27.5.19

**:: आदेश ::**

श्री सुनिल बेनीवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक 39 दिनांक 22.02.19 के क्रम में श्री कुनाल उपाध्याय, उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में दिनांक 08.01.19 से कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

**सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-**

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंसा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह०

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री सुनिल बेनीवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)  
27/5/2019  
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 27.5.19

**:: आदेश ::**

श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र दिनांक 18.02.19 के क्रम में उनके पूर्व जूनियर श्री नरेन्द्र चौधरी के स्थान पर श्री श्रेयांश मेहता, अभिभाषक को दिनांक 15.02.19 से उनके जूनियर के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

**सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-**

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर की अनुशंसा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंसानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय – समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

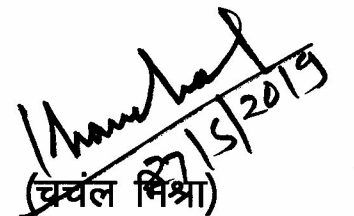
ह०

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री करण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
3. संबंधित अधिवक्तागण।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 27.5.19

**:: आदेश ::**

मेजर आर.पी. सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक आर.पी.एस./एएजी/2019/166 दिनांक 18.03.19 के क्रम श्री अमित गुप्ता, जूनियर अधिवक्ता के स्थान पर श्री शशिकान्त सैनी, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/858/2008) को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

**सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-**

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंसा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंसानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह०

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. मेजर आर.पी. सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(चंचल मिश्रा)  
27/5/2019

शासन सचिव, विधि